

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा/बैठक/2011/2401

दिनांक : 5-8-2011

:- कार्यालय आदेश :-

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखा कर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 12-08-2011 को मध्याह्न पूर्व 11:00 बजे वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। समस्त सहायक लेखाधिकारी नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना अपने साथ लेकर आयेगें :-

1. बकाया लम्बित दावों की सूचना (जिन कार्यालयों द्वारा नहीं भिजवायी गयी है) निर्धारित प्रपत्र में अतिरिक्त बजट मांग प्रस्तावों के साथ लावें।
2. महालेखाकार, निरीक्षण विभाग एवं आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालनाएं।
3. महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनाएं।
4. वर्ष 2011-12 में निस्तारण योग्य सामग्री/नकरा वाहनों की सूचना (जिनके द्वारा अभी तक नहीं भिजवायी गयी है)
5. मासिक व्यय विवरण माह जुलाई, 2011 तक।
6. चोरी गबन प्रकरणों की प्रकरणवार विन्दुवार नवीनतम सूचना (निर्धारित प्रपत्र में) जिन कार्यालयों द्वारा अभी तक नहीं भिजवाई गई है।
7. प्रपत्र 1 से 8 तक सूचना (जोन स्तर पर समेकित कर साथ में लायी जानी है)
8. 31.03.2011 तक के स्टॉक एवं स्टोर लेखें एवं भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र। (जिन जोन कार्यालयों द्वारा समेकित सूचना अभी तक प्रेषित नहीं की गई है।)
9. वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में राजस्थान राज्य के अन्दर राशि रु0 50,000/- एवं अधिक की खरीद का विवरण निम्नांकित प्रारूप में साथ में लावें :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विक्रेता का नाम	* टिन संख्या	क्रय की गयी वस्तु का नाम	बिल संख्या एवं दिनांक	मूल्य वेट राशि	कुल राशि
----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------------------	-----------------------	----------------	----------

अपजिकृत व्यवहारियों से खरीद की सूचना भी उपलब्ध करावें।

10. विभाग पत्रांक प.4()लेखा/बीएनपी/2011/1354 दिनांक 29.06.11 द्वारा स्वीकृत पदों एवं वाहनों की वांछित सूचना आपके जिले के समस्त कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, यह सुनिश्चित करें। पूर्व में जिन कार्यालयों द्वारा सूचना अप्रमाणित प्रस्तुत की गई है, उन सूचनाओं को सक्षम स्तर से प्रमाणित कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. बकाया ऑ.बी. आईटम्स की पालनाएं साथ में लावें।
12. ड्राफ्ट पैराज की अनुपालना (केवल सीएचसी, कपासन द्वारा लाई जानी है)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा/बैठक/2011/2401

दिनांक : 5-08-2011

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति0 निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार कयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईसीसी मुख्यालय।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
8. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन.....
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
11. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
12. प्रमारी सर्वर, रूम (मु) कृपया इस आदेश को विभाग की वेब-साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13. केयर टेकर, कृपया दिनांक 12/08/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
14. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर